

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 21, शुक्रवार, शाके 1947- सितम्बर 12, 2025 <i>Bhadra 21, Friday, Saka 1947- September 12, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 22, 2025

संख्या प09(9)चिस्वा/2/63/पार्ट-01451 :-राजस्थान चिकित्सा अधिनियम, 1952 की धारा 4 (डी) के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर में निर्वाचित हुए निम्नांकित सदस्यों को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से अधिसूचित करती है:-

- 1- डॉ० बृजेश कुमार महावर, असोसियट प्रोफेसर, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर
- 2- डॉ० ओम प्रकाश सैनी, सीनियर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
- 3- डॉ० चन्द्र प्रकाश मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज बारां
- 4- डॉ० श्रीकांत शेटे, फिजियोलॉजी विभाग वरिष्ठ आचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बांसवाडा
- 5- डॉ० राकेश साबू प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय झुझुनूं
- 6- डॉ० विनोद कुमार, सहायक आचार्य जनरल सर्जरी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलवर
- 7- डॉ० मुनि राम मीणा, सह आचार्य, एनएसथीसिया राजकीय मेडिकल कॉलेज, सवाई माधोपुर
- 8- डॉ० तरुण लाल, प्रधानाचार्य, एस.जे.पी. चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर
- 9- डॉ० योगेश सिंह, विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़
- 10- डॉ० अशोक मूंदडा, वरिष्ठ आचार्य, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा

उक्त सदस्य का कार्यकाल निर्वाचन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

निशा मीना,
 शासन संयुक्त सचिव।